

27/14/2012-एस0आर0एस0

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक २६ जून 2013।

सेवा मे,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ।

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड सरकार,
सचिवालय, देहरादून।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री श्रीनिवास वाशर्णेय, अधीशांसी अभियंता द्वारा धारित पद का उत्तराखण्ड स्थानातरण।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में श्री श्रीनिवास वाशर्णेय, अधीशांसी अभियंता के उत्तराखण्ड अंतिम आवंटन पर विचार किया गया। सिंचाई विभाग के कार्मिकों के अंतिम आवंटन के समय किसी कारणवश श्री वाशर्णेय का उत्तराखण्ड अंतिम आवंटन स्थगित रखा गया था। अतः भारत सरकार द्वारा प्रकरण दिनांक 15.01.2013 को हुई वेठक में उपस्थापित किया गया। प्रशासनिक विभाग द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि श्री वाशर्णेय उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत हो चुके हैं। अतः समिति द्वारा उनके द्वारा धारित पद उत्तराखण्ड स्थानान्तरित किए जाने कि संस्तुति कि गयी।

2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार अधीशांसी अभियंता (सिविल) का एक रिक्त पद उत्तराखण्ड स्थानान्तरित किया जाता है।

०/८

भवदीय,
रामलीला
(सारंगधर नायक)

आवार सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

(1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, ३० प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग, ४६, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ।

(2) श्रीमति हेमलता ढौँडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Dept. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुमति
Receipt & Issued Sheet No.

26 JUN 2013

जारी किया/ISSUED